मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल –462004

क्रमांक एफ 73–46/2009/20–3 भोपाल, दिनांक

प्रति,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल
प्रीत बिहार, नई दिल्ली ।

विषयः– अशासकीय शिक्षण संस्था भारती विद्या मंदिर इन्टरनेशलन स्कूल, नसरूल्लागंज जिला सीहोर (म0प्र0) को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बध्दता हेतु अनापत्ती प्रमाण–पत्र देने के संबध में ।

–000–

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से सम्बध्दता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तो पर दिया जाता है:–

(1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बध्दता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय–समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

(2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा ।

(3) शिक्षण संस्था में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी0बी0 पडवार)
अवर सचिव
म0प्र0शासन,स्कूल शिक्षा विभाग